

हेतु न्यायालय को पेश किया गया। पत्रावली आयदा दिनांक 29.5.20 को पेश हो।

29/5/20

पत्रावली प्रस्तुत की गई। माननीय राजस्व मंडल अजमेर के परिपत्र क्रमांक सं-4340 दिनांक 18.03.2020 की पालना में कोरोना वायरस की रोकथाम हेतु न्यायालय का कार्यवाही स्थगित रखी गई। पत्रावली आयदा दिनांक 17/7/20 को पेश हो।

17/7/20

पत्रावली प्रस्तुत की गई। माननीय राजस्व मंडल अजमेर के परिपत्र क्रमांक सं-4340 दिनांक 18.03.2020 की पालना में कोरोना वायरस की रोकथाम हेतु न्यायालय का कार्यवाही स्थगित रखी गई। पत्रावली आयदा दिनांक 25/9/20 को पेश हो।

25/9/20

पत्रावली प्रस्तुत/वादी व प्रतिवादी वकील उप. श्रीमान् P.O. साहब अन्य कार्य में व्यस्त है। अतः पत्रावली आईन्दा दिनांक... 27.11.2020 को पेश हो।


27/11/20

पत्रावली प्रस्तुत। P.O. साहब उपाय करके को पेश है शर्तें दिनांक 18/11/20 को पेश हो।

18/1/21

पत्रावली प्रस्तुत/वादी व प्रतिवादी वकील उप. श्रीमान् P.O. साहब अन्य कार्य में व्यस्त है। अतः पत्रावली आईन्दा दिनांक... 15/2/21... को पेश हो।

15/2/21

पत्रावली प्रस्तुत। वकील वारी अरुण/ न्यायालय के प्रकारे जाने पर ना  काटिंगना

हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज

जारी तारीख  
नम्बर/दि.

ना ही वकील वाणिगण न्यायालय के  
समक्ष उपस्थित नहीं हुए। किंतु न्यायालय  
हस्ताक्षर वाद को क्रम बहिरी क्रम प्रोसी  
में रखादिष्ट करता है। पत्रावली के तल सुकर  
होकर नों ले कर होकर 'वाकिल पत्र' है।



(पवन कुमार)

उपखण्ड अधिकारी  
अनूपगढ़